5

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी – दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 02/2017

1. प्रभूदयाल पुत्र रामेश्वर जाति कुम्हार निवासी ग्राम परसरापुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–प्रार्थी

**– बनाम –**

1. नौरंगलाल पुत्र रामेश्वरलाल
2. रामचन्द्र पुत्र रामेश्वरलाल
3. प्यारेलाल पुत्र रामेश्वरलाल
4. सांवरमल पुत्र रामेश्वरलाल
5. सुनील पुत्र रामेश्वरलाल
6. मन्नी बेवा रामेश्वरलाल
7. मदन पुत्र परसा
8. रामनिवास पुत्र श्रवण
9. चन्द्रप्रकाश पुत्र श्रवण
10. लिक्ष्मण पुत्र परसा जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
11. शेखावाटी ग्रामीण बैंक परसरामपुरा जरिये प्रबंधक शेखावाटी ग्रामीण बैंक परसरामपुरा तहसील नवलगढ।
12. भूमि धारक जरिये तहसीलदार, नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत करवाये जाने पत्थरगढी
अं.धारा 111 व 128 रा0भू0राज0 अधि0

**वकील प्रार्थी : दीपेन्द्र सिंह जाखड़**
**वकील अप्रार्थी : एक पक्षीय**

## निर्णय

निर्णय दिनांक 14–02–2022

**प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :–** प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम परसरामपुरा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1699 रकबा 0.1400 हैक्टर स्थित है, जिसके प्रार्थी एवं अप्राथीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है व काबिज है। उक्त भूमि के चारों तरफ की सीमा नही होने के कारण आवेदक ने दिनांक 27.04.2014 को पटवार हल्का व गिरदावर हल्का से अपनी भूमि की नपती करवाकर चारो तरफ से सीमाज्ञान करवाया था, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है। सीमाज्ञान के समय गांव के मौजिज व्यक्ति व पड़ोसी भूमियों के खातेदार व अन्य सह–काश्तकार मौके पर मौजुद थे जिनके हस्ताक्षर भी फर्द मौका सीमाज्ञान पर उसी वक्त करवा लिये गये थे।

उक्त सीमाज्ञान के आधार पर आवेदक अपनी खातेदारी [illegible] तरफ की सींमाओं पर पत्थरगड्डी करवाना चाहता है और आवेदक को अपनी [illegible] करवाने का पूर्ण अधिकारी प्राप्त है। पत्थरगड्डी के बाबा[illegible] है परन्तु अनावेदकगण पत्थर गड्डी नही होने देना चाहते है जिस[illegible] हुई है। इसलिए मोके पर सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगड्डी करवाया जाना कानूनन न्यायहित में आवश्यक है।

उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार श्रवण पुत्र परसा की मृत्यू हो [illegible] है जिनका विरासतन नामान्तकरण [illegible] जमाबंदी में अंकन नही किया गया है। इसलिए उनके जायज वारिसान को प्रार्थना पत्र में अनावेदकगण नम्बर क्रमशः 8 व 9 के रूप में पक्षकार बनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:08:34 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में दादरशी के संबंध में निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 01 में वर्णित आवेदक की खातेदारी भूमि पर पत्थर गड्डी उक्त सीमाज्ञान दिनांक 27.04.2014 के मुताबिक करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 अन्तर्गत धारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी अप्रार्थीगण जारी कर अप्रार्थीगणों को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 12 बावजूद तामिल के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

तदपश्चात राज्य सरकार के प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 में पत्रावली शिविर ग्राम पंचायत परसरामुपरा भिजवाई गई जिसमें आवेदक एवं अनावेदकगण द्वारा लिखित में हम सभी पक्षकारान को वर्णित भूमि के पत्थरगड्डी करने पर हम पक्षकारान को कोई आपति नही है तथा पत्थरगड्डी हेतु सहमति प्रस्तुत की जो पत्रावली पर उपलब्ध है।

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। विद्वान वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तहसीलदार नवलगढ़ के सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगड्डी करने का निवेदन किया।

बहस का मनन किया तथा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा दिनांक 27.04.2014 को कराये गये सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाये जाने की सहमति प्रदान करने पर विवादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान नियमानुसार पटवारी हल्का एवं गिरदावर हल्का से दिनांक 27.04.2014 को किया गया सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगड्डी करवाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि में पत्थरगड्डी करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में वकील पक्षकारान की सहमति होने तथा न्यायोचित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी का स्वीकार किया जाता है।

**आदेश**

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम परसरामपुरा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1699 रकबा 0.1400 हैक्टर की फर्द मौका (सीमाज्ञान) दिनांक 27.04.2014 के अनुसार पत्थरगड्डी शुल्क राजकोष में प्रार्थी द्वारा जमा कराने पर वर्णित भूमि के सीमाओं पर पत्थगड्डी करने का तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14–02–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दमयंती कंवर (R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:08:34 IST
Reason: SelfAttested

## फर्द सीमाज्ञान

कार्यालय ... 1-5-014

आज दिनांक 27.4.14 को श्रीमान तहसीलदार महो. नवलगढ़ के आदेश क्रमांक सीमाज्ञान 75 दिनांक 8.1.14 की पालना में ग्राम परसरामपुरा के भूमि ख० नं० 169 के मौके पर पहुंचा। मौके पर आवेदक प्रभुदयाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति कुमावत उपस्थित मिला। मौके पर जिला कार्यालय द्वारा जारी सर्वे शीट क्रमांक 4-64 दिनांक 6.2.14 से फीता चलाकर सीमाज्ञान करवाया गया। पुख्ता पाईंट पुराना कुंआ से सीमाज्ञान करवाकर निशान बताये गये मौका फर्द मौके पर तैयार कर उपस्थित मौतबिरानों का हस्ताक्षर पता सुना कर कराये गये।

प. परसरामपुरा
27/4/2014

मदनलाल
[illegible]
सांवरमल

1 रु. कोर्ट फी Re.1 COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE FOR COPYING FEES ONLY

1 रु. कोर्ट फी Re.1 COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE FOR COPYING FEES ONLY

रजिस्टर नम्बर 860
प्रार्थना पत्र प्राप्ति दिनांक 15-12-16
[illegible] दीपेन्द्र सिंह
[illegible] 15-12-16
नकल प्राप्त [illegible] अभिप्राय [illegible]
कापिंग टिकट 2=00
नकल देने का दिनांक 15-12-16

मिलान किया [illegible] नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:08:34 IST
Reason: SelfAttested

सत्य प्रतिलिपि
15/12/16
तहसीलदार (भू.अ.) नवलगढ़

16

नक्शा ट्रेस

ग्राम - [illegible]

तह. [illegible]

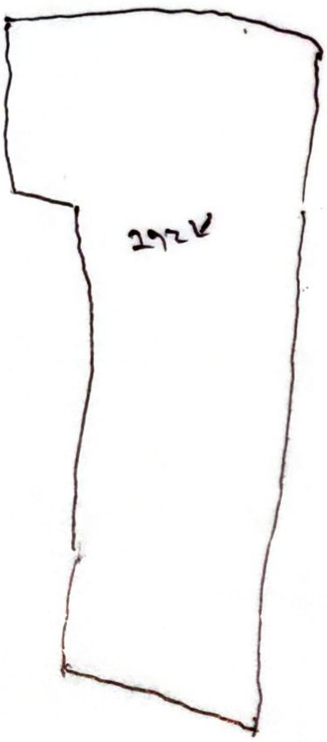


१६५४

8912

41551

P.35 के मुताबिक

पटवारी 8.12.16

पटवार हल्का

ग्राम [illegible]

तहसील [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:08:34 IST
Reason: SelfAttested